	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/06/22	पत्रावली आज कैम्प शिविर ग्रा.प. नीम्बल मुख्यालय नगर पेश हुई। तहसीलदार गुड़ामालानी से रिपोर्ट ली गई तथा मौके मौका जानकारी ली गई। आवेदक केला के विवाद जाकर सुने न्यायालय सुलझाया गया। पत्रावली निर्णय शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो।	

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
पंचायत समिति गुड़ामालानी/आडेल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

reader report (?) 13/9/24

में,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) महोदय,

गुडामालानी जिला बाडमेर

प्रार्थी :–

1. नेनाराम पुत्र जगमालराम उम्र 40 वर्ष
जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. श्रीमान तहसीलदार गुडामालानी
2. बाबू पुत्र जगमाल उम्र 55 वर्ष
3. राजू पुत्र जगमाल उम्र 45 वर्ष
4. लाधू पुत्र जगमाल उम्र 52 वर्ष
5. हेमा पुत्र जगमाल उम्र 48 वर्ष
6. सुवटी पत्नि जगमाल उम्र 80 वर्ष
7. गोमती पुत्री जगमाल उम्र 40 वर्ष
8. लाली पुत्री जगमाल उम्र 46 वर्ष
9. शान्ति पुत्री जगमाल उम्र 53 वर्ष
10. जोधा पुत्र ठाकरा उम्र 90 वर्ष
11. धना ठाकरा उम्र 80 वर्ष
12. नारायण पुत्र ठाकरा उम्र 70 वर्ष

जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 आर एल एक्ट

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested

महोदयजी,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्नानुसार है–

1- कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 2 से 12 की सयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम देशान्तरी नाडी के खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 14–4068 हैक्टयर, व ग्राम सोनाणी विश्नोईयो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 272, रकबा 0–0324, खसरा नम्बर 273/1 रकबा

1–5135, खसरा नम्बर 273/3 रकबा 8–7493 हैक्टयर ^(खसरा नं 7/2 रकबा 6.56..) की भूमि आई हुई है। जि
चालू जमाबन्दी सलग्नं है।

2- कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी सख्या 2 से 9 के पिता व पति जगमालराम के नाम राजस्व रेर्ड मे दर्ज थी तथा जगमाल के फौत होने पर 2 से 9 के नाम से राजस्व रेक मे अकिंत हुई परन्तु जगमाल के फौतगी का नामान्तकरण में प्रार्थी का वास्तविक ना नेनाराम अकिंत नही कर उसके स्थान पर बिना जांच किये रामलाल अकिंत कर दिया ज गलत है क्योकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नेनाराम पुत्र जगमालराम है तथा इनके नाम से आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी जॉब कार्ड तथा जन आधार कार्ड इत्यादि सभी दस्तावेजो में नाम नेनाराम पुत्र जगमालराम लिखा हुआ है, तथा मेरे गांव पडौस व मेरे सभी रिस्तेदारो में मुझे नेनाराम पुत्र जगमालराम के नाम से पुकारते है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय त्रुटि से भूलवंश नाम नेनाराम के स्थान पर रामलाल लिख दिया है। जो गलत है।

3- कि प्रार्थीगण को अपने नाम की गलत इन्द्राज होने से हर प्रकार की सार्वजनिक व सरकारी योजनाओ के वचित रहना पडता है तथा ऋण इत्यादि लेने में समस्या आती है तथा हर जगह बार शपथ पत्र बनाना पेश करना पडता हैं इसलिये यह नाम दुरस्ती का अवेदन श्रीमनजी के न्यायलय मे पेश करना पडा।

4- कि प्रार्थी का नाम राजस्व इन्द्राज में गलत दर्ज होने का ज्ञान होने पर राजस्व कर्मचारीयो व अधिकारीयो से सही नाम दुरस्ती का निवेदन किया लेकिन सभी ने कहा कि न्यायालय आदेश से नाम दुरस्ती करावे तभी श्रीमान के न्यायालय में यह नाम दुरस्ती का आवेदन पेश है।

5- कि प्रार्थी नेनाराम पुत्र जगमाल व गलत इन्द्राज रामलाल पुत्र जगमालराम दोनो नाम का मैं एक ही व्यक्ति हूँ, तथा हमारे गांव में नेनाराम पुत्र जगमालराम के नाम का कोई व्यक्ति नही है।

6- कि प्रार्थी का उक्त खसरा ग्राम देशान्तरी नाडी व सोनाणी विश्नोईयो की ढाणी तहसील गुंडामालानी में होने से श्रीमान जी के क्षैत्राधिकार व श्रवाणधिकार का है।

7- कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का होने से न्याय शुल्क 2 रू मुद्रांक पेश है।

अतः श्रीमानजी के समक्ष नाम दुरस्ती का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सयुक्त खातेदारी का ... खेत खसरा नम्बर 278 रकबा 14–4068 हैक्टयर, व ग्राम सोनाणी विश्नोईयो की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 272, रकबा 0–0324, खसरा नम्बर 273/... खसरा नम्बर 273/3 रकबा 8–7493 हैक्टयर ^(खसरा नं 7/2 रकबा 6.56...) में रामलाल पुत्र जगमालराम के स्थान पर नेनाराम पुत्र जगमालराम का नाम दुरस्ती करने का आदेश फरमावे।

दिनांक 10/9/21

Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:04:20 IST
Reason: SelfAttested